उ0प्र0 परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी.बी.एक्स. 2622363, 2627111

फैक्सः 0522-2615526, 2628841, 26235786

बस संचालक एवं निवेशको के लिये निगम में मिड सेगमेण्ट वातानुकूलित अनुबन्धित बस योजना–2016 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

निविदा प्राप्त किये जाने एवं जमा करने हेतु प्रक्रिया निम्नवत् है–

1 **निवेशक द्वारा आवेदन पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/निगम मुख्यालय, लखनऊ से अथवा निगम की वेबसाइट www.upsrtc.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं, डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य डिमाण्ड ड्राफट के रूप में जमा किया जायेगा।**

2. आवेदन पत्र का शुल्क रू. 5,250/– तथा प्रतिभूति धनराशि आवेदन पत्र के साथ क्षेत्रीय कार्यालय अथवा मुख्यालय में दिनांक 15.07.2016 तक जमा करायी जा सकती है।

3. एक आवेदन पत्र में एक से अधिक बसों का आवेदन कर सकता है। आवेदन कर्ता को प्रति बस रू0 35,000/– प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।

4 बस स्वामी अपने प्रस्ताव में उपलब्ध मार्गों की सूची से प्राथमिकता के क्रम में आवेदन कर सकता है एवं सूची के अतिरिक्त अन्य मार्ग भी अपने विवेक से भर सकता है, जो कि सूची में न हो। अधिक बसों हेतु मार्गों का विकल्प देने के लिये अतिरिक्त पेपर शीट लगाकर मार्गों का अंकन कर सकता है।

बस स्वामी की बस का मार्ग का आवंटन उसके द्वारा दी गयी प्राथमिकता एवं मार्गों में उपलब्ध रिक्तियों के क्रम से किया जायेगा। यथा पहली प्राथमिकता के मार्ग की रिक्ति समाप्त होने पर द्वितीय प्राथमिकता के मार्ग का आवंटन किया जायेगा। इसी प्रकार आगे प्राथमिकता के क्रम में मार्ग आवंटन किया जायेगा।

5. 05 अथवा 05 से अधिक बस अनुबन्ध कराने वाले आवेदकों को मार्ग आंबटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. जिस आवेदक को मार्ग आवंटन नहीं किया जा सकेगा उसे प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।

बस की सीट क्षमता एवं तकनीकी मानक

मिड सेगमेण्ट वातानुकूलित रिक्लाईनिंग सीट (2x2) – 40 सीट

वातानुकूलित वाहन से यह तात्पर्य है कि जो वाहन मोटर व्हेकिल रूल्स के अन्तर्गत निर्मित हो और सक्षम अधिकारी (सम्भागीय परिवहन कार्यालय) से पास हो एवं निम्नलिखित विशिष्टताएं रखते हो :–

1. बस की लम्बाई (length) न्यूनतम् 11 मीटर।
2. बस की चौड़ाई (width) 2500 मिलीमीटर।
3. नई बस की इंजन क्षमता न्यूनतम 175 एच.पी. होनी चाहिये एवं 02 वर्ष तक पुरानी बस की इंजन क्षमता न्यूनतम 160 एच.पी.की हो सकती है परन्तु इस प्रकार की बसों का निगम में अनुबन्ध के पश्चात दिनांक 15.09.2016 तक संचालित हो जानी चाहिए।
4. वातानुकूलन संयत्र (A.C. Plant) क्षमता– न्यूनतम 10.50 टन।

सीट लेआऊट– 40 सीट क्षमता 2X2 रिकलाइनिंग बस का सीट लेआउट एवं डाइमेन्सन निर्धारित बस कोड के अनुसार होने चाहिए। बाडी सम्बन्धी अन्य मानक बस कोड लागू होने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

1. बस चालक का केबिन वातानुकूलित होना चाहिये। यदि बस के चालक का केबिन पृथक से नहीं होता है तो बस के इंजन का इस प्रकार इन्स्योलेशन (insulation) कराया गया हो कि इंजन की गर्मी से बस के अन्दर तापमान में वृद्धि न हो। ऐसी दशा में बस स्वामियों को मार्ग आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

2. ऑडियो और इर्न्टनल फ्लोरसेण्ट ट्यूब लाईटिंग का प्राविधान होना चाहिये।
3. वाहन में म्यूज़िक सिस्टम लगा होना चाहिए लगेज के लिये पर्याप्त डिक्की (Boot space) बस के पीछे एवं साइड में बना होना चाहिये जिससे यात्रियों का सामान रखने के लिए बस में पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहे।
4. बस की सीटें रिक्लाईनिंग तथा हेडरेस्ट युक्त हो, इन पर टेरीकॉट कवर होना चाहिए तथा डीलक्स समकक्ष मानक पर होना चाहिये।
5. ए.सी. यूनिट के सम्बन्ध में तकनीकी मानक :–
    - बस में न्यूनतम 10.50 टन का वातानुकूलन (ए.सी.) संयत्र, बस की छत पर लगा होना चाहिये।
    - बस मे कूलिंग क्वायल छत पर लगा होना चाहिये।
    - सभी पाईपिंग उच्च क्वालिटी के फ्लैक्सिबल रबर के होने चाहिये तथा ओरिंग टाईप फिटिंग से जुड़े होने चाहिये।
    - प्रयोग की जाने वाली रेफ्रिजरेन्ट गैस ओज़ोन फ्रेण्डली होनी चाहिये।
    - बस में वायुशीतन यंत्र के साथ वायुतापन व्यवस्था अनिवार्य होगी।
    - ए.सी. सिस्टम में ऑटोमेटिक तापमान रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिये।
    - वायुतापन Hot air blower यंत्र लगाना अनिवार्य है।
    - बस में रियर एयर सस्पेंशन आवश्यक रूप से लगा होना चाहिये।
    - बसों में पूरे उत्तर प्रदेश में एक रूपता हेतु निम्नलितखत कलर/डिजाईन निर्धारित होगीः–

बस सफेद रंग की होगी एवं दो नीली रेखायें बस की खिड़की के नीचे होनी चाहिये। शताब्दी के समान लोगो सहित **उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वातानुकूलित सेवा** दोनों साईड, आगे एवं पृष्ठ पर लिखा होना चाहिये।

अनुबन्ध के समय वातानुकूलित अनुबन्धित बस की अधिकतम आयु पंजीकृत तिथि से अधिकतम 2 वर्ष होनी चाहिए ।

6. **मिड सेगमेण्ट वातानुकूलित अनुबन्धित बस योजना–2016 हेतु भुगतान दरें :–**

	मद	**बस स्वामी को भुगतान दर प्रति कि.मी.**
अ	डीज़ल मद को छोड़कर अन्य मद में भुगतान दर	रू0 14.00
ब	डीज़ल मद में भुगतान की दर	3.70 कि.मी./लीटर के आधार पर प्रचलित डीज़ल बाज़ार दरों पर भुगतान की गणना की जायेगी।

बस स्वामी को प्रति कि.मी. भुगतान **"अ"** एवं **"ब"** में आगणित धनराशि को जोड़कर किया जायेगा।

1. अनुबन्धित वातानुकूलित बस योजना–2016 में बसों से रू. 5.50 प्रति कि.मी. प्रशासनिक शुल्क चार्ज किया जायेगा।
2. बस स्वामी को भुगतान एवं प्रोत्साहन धनराशि की गणना निगम में पूर्व में प्रचलित साधारण अनुबन्धित बस योजना के समान की जायेगी तथा यह गणना प्रक्रिया साधाराण अनुबन्धित बस एवं मिडसिग्मेन्ट वातानुकूलित अनुबन्धित बस योजना 2016 में समान रूप से लागू होगी। साधारण बसों के समान ही मिडसिग्मेन्ट वातानुकूलित अनुबन्धित बस स्वामी को देय प्रोत्साहन धनराशि की गणना बस के द्विमासिक आय–व्यय के आंकलन के आधार पर की जायेगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

3. वातानुकूलित अनुबन्धित बस का अनुबन्ध बस के पंजीयन तिथि से अधिकतम 07 वर्ष की आयु तक किया जायेगा। प्रथम अनुबन्ध 05 वर्ष के लिये होगा, तत्पश्चात् बस की दशा के आधार पर एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम दो बार नवीनीकरण किया जायेगा। बस के अनुबन्ध के समय बस की अधिकतम आयु सीमा 02 वर्ष निर्धारित है, प्रथम अनुबन्ध अधिकतम 05 वर्ष की अवशेष आयु सीमा तक किया जायेगा।

4. अनुबन्धित वातानुकूलित बस की आयु 05 वर्ष से अधिक होने पर 100 पैसे प्रति कि.मी. बस स्वामी के भुगतान मे कमी की जायेगी।

(एच॰ एस॰ गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

पत्रांक 2214(2) /16–32 रो/वाता.योजना 2014/मिड सेगमेण्ट/2016 दि0 30 जून,: 2016

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम।
2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो/वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम।
3. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ की उक्त परिपत्र को निगम वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

(राजेश वर्मा)
प्रधान प्रबन्धक(वा0एवं वि0)

Downloaded from
www.upsrtc.com